राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1995

राजस्थान सरकार समाचार पत्रों/समाचार एजेन्सियों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले पत्रकारों को अधिस्वीकृत करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(1) ये नियम राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1995 कहलायेंगे।

(2) ये नियम तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न होः–

(1) 'सरकार' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(2) 'निदेशक' से निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क, राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(3) 'प्रेस प्रतिनिधि' से किसी समाचार पत्र, समाचार एजेन्सी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आदि के प्रतिनिधित्व करने वाले संवाददाता/सम्पादक/सम्पादकीय डेस्क पर कार्य करने वाले पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर, व्यंग्य चित्रकार एवं स्वतंत्र रूप से काम करने वाले पत्रकार अभिप्रेत हैं।

(4) 'समाचार पत्र' से तात्पर्य नियत अन्तरालों पर मुद्रित और समूल्य वितरित कोई ऐसा प्रकाशन अभिप्रेत है, जिसमें प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1867 में यथा परिभाषित जनहित के समाचार या टिप्पणियां अन्तर्विष्ट हों, लेकिन इससे ऐसा कोई प्रकाशन अभिप्रेत नहीं है, जिसमें मात्र किसी वर्ग विशेष के हित की सूचना अन्तर्विष्ट हो।

(5) 'श्रमजीवी पत्रकार' से समय–समय पर यथा संशोधित श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 में यथा परिभाषित कोई श्रमजीवी पत्रकार अभिप्रेत है।

(6) 'राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति' से तात्पर्य समाचार पत्रों/समाचार ऐजन्सियों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्पादकों/संवाददाताओं, स्वतंत्र पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर, व्यंग्य चित्रकार के अधिस्वीकरण के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए इन नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(7) 'सम्पादक' का अर्थ है वह व्यक्ति, जो प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत घोषित सम्पादक हो।

(8) 'समाचार एजेन्सी' से तात्पर्य वह समाचार एजेन्सी है, जो प्रदेश के न्यूनतम समाचार पत्रों/संस्थानों/प्रतिष्ठानों/संस्थाओं को सशुल्क संवाद सेवाएं देती हों और जिसमें समाचार, फीचर्स या टिप्पणियां सम्मिलित हैं। समाचार स्केन सेवा भी मान्य होगी।

(9) 'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया' से तात्पर्य ऐसी संस्था/संस्थान से है, जिसके द्वारा ऑडियो/वीडियो विजुअल माध्यम से समाचार प्रसारित होते हैं।

(10) 'स्वतंत्र पत्रकार' से तात्पर्य उन पत्रकारों से है, जो न्यूनतम 25 वर्षों तक पूर्णकालिक पत्रकारिता से जुड़े रहे हों और जिनकी आयु 50 वर्ष से कम न हो तथा किसी समाचार पत्र अथवा समाचार एजेन्सी से सम्बद्ध नहीं हों।*

(11) 'अनुभव' से पूर्णकालिक पत्रकारिता का सवैतनिक अनुभव अभिप्रेत है।

3. राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति का गठन और कार्यविधि संचालन

(1) राजस्थान सरकार, इन नियमों में अधिकथित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एक समिति का गठन करेगी, जिसका नाम राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति होगा।

(2) राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति में सदस्यों का मनोनयन अधिस्वीकृत पत्रकारों/पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों में से किया जायेगा। अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव सहित सदस्यों की संख्या 9 होगी।**

(3) निदेशक राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति के अध्यक्ष तथा संयुक्त निदेशक (समाचार) सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

(4) राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति एक बार गठित हो जाने पर आदेशों की तारीख से दो वर्षों की कालावधि तक कार्य करेगी।

(5) राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार या यदि आवश्यक समझा जाये तो अधिक बार आयोजित की जायेगी।

(6) राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों की होगी।

अधिस्वीकरण

(1) उन सम्पादकों/संवाददाताओं/प्रेस फोटोग्राफरों/व्यंग्य चित्रकारों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों, स्वतंत्र पत्रकारों को अधिस्वीकरण दिया जा सकेगा, जिनके लिए राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति द्वारा सिफारिश की जाये।

(2) अधिस्वीकरण से समाचार पत्रों या समाचार एजेन्सी के प्रतिनिधियों को जनहित के समाचार देने को वृत्तिक पत्रकार के रूप में मान्यता मिलेगी और इसी रूप में उनकी पहचान होगी।

(3) किसी समाचार पत्र या समाचार एजेन्सी के लिए अधिस्वीकृत किये जाने वाले प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या इन नियमों में परिशिष्ट–क के अनुसार होगी।

---

*सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के आदेश संख्या प–9/98, दिनांक 31.5.2000 द्वारा आयु सीमा 45 वर्ष और पत्रकारिता का अनुभव 20 वर्ष निर्धारित।

**सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के आदेश संख्या प–9/98,दिनांक 31.5.2000 द्वारा समिति के सदस्यों की संख्या 11 कर दी गई है। इनमें से तीन प्रतिनिधि विभिन्न पत्रकार संगठनों से होंगे। गणपूर्ति अध्यक्ष सहित 6 सदस्यों की होगी।

(4) अधिस्वीकरण का उपयोग केवल पत्रकारिता सम्बन्धी प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा न कि अन्य प्रयोजन के लिए।

(5) अधिस्वीकरण केवल सम्बन्धित व्यक्ति जिसके लिए जारी किया गया है, के लिए ही होगा और यह हस्तान्तरणीय नहीं होगा।

5. अधिस्वीकरण के लिए पात्रता

(1) अधिस्वीकरण की कालावधि में राजस्थान में निवास आवश्यक होगा।

(2) आवेदक को पूर्णकालिक सक्रिय पत्रकारिता से जुड़ा होना आवश्यक होगा।

(3) आवेदक को आवेदन करने की तारीख पर पूर्णकालिक पत्रकारिता का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा।

(4) आवेदन पत्र की तारीख को आवेदक की न्यूनतम आयु 23 वर्ष होना आवश्यक होगा।

(5) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।* (शैक्षणिक योग्यता की शर्त केवल नये आवेदनकर्ताओं पर ही लागू होगी परन्तु 15 अगस्त, 1977 तक 25 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिस्वीकरण के लिए आवेदनकर्ताओं पर यह शर्त लागू नहीं होगी।)

(6) आवेदक की आजीविका पत्रकारिता पर आश्रित होना आवश्यक होगा।

(7) आवेदक के आचरण के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट का सत्यापन आवश्यक होगा।

(8) नैतिक आचरण से सम्बन्धित आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दंडित आवेदक अधिस्वीकरण का पात्र नहीं होगा। जिन नैतिक आचरण से सम्बन्धित आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश हो गया हो उन आवेदकों के सम्बन्ध में निर्णय होने तक अधिस्वीकरण के लिए विचार नहीं किया जावेगा।

(9) केवल पाक्षिक नियतकालिकता तक के समाचार पत्रों से सम्बद्ध आवेदक ही अधिस्वीकरण के पात्र होंगे।**

---

* सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के आदेश संख्या प–9/98, दिनांक 31.5.2000 द्वारा स्नातक स्तर की योग्यता निर्धारित।

** सूचना एवं जन संपर्क विभाग के आदेश संख्या प–9/98, दिनांक 31.5.2000 द्वारा राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों सहित राष्ट्रीय साप्ताहिक एवं पाक्षिक समाचार पत्रों के राज्य में नियुक्त संवाददाता अधिस्वीकरण के पात्र होंगे।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के सेवानिवृत अधिकारियों का स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिस्वीकरण किया जा सकेगा। अधिस्वीकरण के नवीनीकरण के समय प्रतिवर्ष सक्रिय पत्रकारिता का प्रमाणीकरण निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क से कराया जायेगा।

(10) दैनिक समाचार पत्र नियमित रूप से न्यूनतम 6 माह प्रकाशित होने पर अधिस्वीकरण जारी करने पर विचार किया जा सकेगा।

(11) साप्ताहिक/पाक्षिक समाचार पत्र न्यूनतम 12 माह नियमित रूप से प्रकाशित होने पर ही अधिस्वीकरण जारी करने पर विचार किया जा सकेगा।

टिप्पणीः– (अ) किसी समाचार पत्र को नियमित रूप से प्रकाशित किया गया तब माना जायेगा, जबकि–

(क) विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रकाशित उसके 90 प्रतिशत से अन्यून अंक नियत तारीख को निकल गये हैं।

(ख) उसका न्यूनतम संदत्त परिचालन–

(i) यदि वह दैनिक समाचार पत्र है तो 2000 प्रतियों का है,

(ii) यदि वह उपर्युक्त उपखण्ड (I) व (II) के अन्तर्गत नहीं आता है तो 600 प्रतियों का है।*

(ग) समाचार पत्र की नियमितता प्रमाणित करने हेतु, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय अथवा सम्बन्धित जिला जन सम्पर्क कार्यालय में, नियमित उपस्थिति को आधार माना जायेगा।

6. अधिस्वीकरण की प्रकिया

1. समाचार समितियों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं राज्य से बाहर के समाचार पत्रों से सम्बद्ध आवेदक निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–ख) में समाचार पत्र/संस्थान के प्रबन्धन के माध्यम से निदेशक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2. (क) राज्य में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों से सम्बद्ध आवेदक निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–ख) में समाचार पत्र/संस्थान के प्रबन्धन के माध्यम से सम्बन्धित जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(ख) जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी आवेदन पत्र को अपनी अनुशंषा या पत्रकारिता के अनुभव तथा पूर्णकालिक पत्रकार होने के आवश्यक प्रमाण–पत्र सहित (परिशिष्ट–ग) जिला कलेक्टर के माध्यम से निदेशक को अग्रेषित करेगा।

(ग) जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निदेशक को प्रेषित कर दिया जायेगा।

3. प्राप्त आवेदन पत्रों पर राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति द्वारा विचार करने के बाद समिति की संस्तुति निदेशक द्वारा अपनी टिप्पणी अंकित करने के पश्चात् राज्य सरकार को अग्रेषित की जायेगी।

4. राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के पश्चात् उस निर्णय का निदेशक द्वारा क्रियान्वयन किया जायेगा तथा स्वीकृत प्रकरणों में अधिस्वीकरण कार्ड जारी किया जायेगा।

* सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आदेश संख्या प–9/98 दिनांक 31.05.2000 द्वारा न्यूनतम 2000 की प्रसार संख्या वाले समाचार पत्र के प्रतिनिधी को ही अधिस्वीकरण दिया जा सकेगा।

5. राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति की बैठक होने तक अथवा 6 माह की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए अस्थाई अधिस्वीकरण निदेशक द्वारा दिया जा सकेगा। परन्तु यह आवश्यक होगा कि आवेदक स्थाई अधिस्वीकरण हेतु पूर्ण पात्रता रखता हो।

6. अधिस्वीकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय से निदेशक द्वारा आवेदक को सूचित किया जायेगा।

7. व्यथित आवेदक राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति के माध्यम से राज्य सरकार को पुनः विचार हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

7. अधिस्वीकृत कार्ड

(1) अधिस्वीकरण के प्रमाण स्वरूप अधिस्वीकृत प्रतिनिधि को एक कार्ड जारी किया जायेगा, जिस पर उसका आवक्ष छाया चित्र भी लगा होगा।

(2) अधिस्वीकृत कार्ड़ ऐसे विशेष समारोहों या सम्मेलनों, जहां प्रवेश निमंत्रण पत्रों और सुरक्षा अनुमति पत्रों द्वारा आवश्यक हो, में उपस्थित होने के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे। अधिस्वीकृत कार्ड हस्तान्तरणीय भी नहीं होंगे।

(3) अधिस्वीकरण कार्ड निदेशक, अतिरिक्त निदेशक या संयुक्त निदेशक (समाचार) के हस्ताक्षरों से एक कलेण्डर वर्ष के लिए जारी किये जायेंगे। इनका नवीनीकरण वर्षानुवर्ष किया जा सकेगा।*

8. अधिस्वीकरण कार्ड का नवीनीकरण

नवीनीकण के लिए निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट–घ में आवेदन किया जाना आवश्यक होगा। अधिस्वीकरण कार्ड़ो के नवीनीकरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

(1) राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार एजेन्सी से सम्बन्धित प्रतिनिधियों एवं स्वतंत्र पत्रकारों के कार्डो का नवीनीकरण सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

(2) संवाददाताओं के अधिस्वीकरण कार्डो का नवीनीकरण संपादक/प्रबन्धक की अनुशंषा पर किया जायेगा।

(3) जिला स्थित राज्य स्तरीय एवं संभागीय तथा जिला स्तरीय समाचार पत्रों से सम्बन्धित प्रतिनिधियों को जारी अधिस्वीकरण कार्डों का नवीनीकरण सम्बन्धित जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों में भी संवाददाताओं के कार्डो का नवीनीकरण सम्पादक/प्रबन्धक की अनुशंषा पर ही किया जायेगा।

(4) नवीनीकरण के लिए पत्र का नियमित प्रकाशन होना आवश्यक होगा। सम्बन्धित पत्र का वर्ष में न्यूनतम 90 प्रतिशत अंकों का प्रकाशन आवश्यक होगा। नियमितता के सम्बन्ध में जांच राजस्थान विज्ञापन नियमों के अनुसार की जायेगी।

* सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आदेश संख्या एफ 5 (1) गृह/सम्पर्क/सचि/प्रकोष्ठ/2002 दिनांक 31.05.2008 द्वारा अधिस्वीकरण कार्ड आयुक्त एवं शासन सचिव, निदेशक, अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन शासन उप सचिव या संयुक्त निदेशक (समाचार) के हस्ताक्षरों से जारी किये जायेगें। इनका नवीनीकरण एक वर्ष के बजाय दो वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

(5) स्थायी अधिस्वीकरण एक जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। 31 दिसम्बर के पश्चात् किये जाने वाले नवीनीकरण की अवधि नवीनीकरण की तिथि से मान्य होगी। अस्थाई अधिस्वीकरण नवीनीकरण की तिथि से 30 जून अथवा 31 दिसम्बर तक के लिए, जो भी पहले हो, मान्य होगा।

(6) अधिस्वीकरण के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक वर्ष 15 दिसम्बर से पूर्व निर्धारित प्रपत्र–घ में आवेदन करना होगा। फरवरी माह के अन्त तक नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त न होने की अवस्था में नवीनीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(7) अधिस्वीकरण कार्ड के गुम हो जाने या चोरी हो जाने तथा नष्ट हो जाने की दशा में डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदक को इस आशय की पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट व समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना की सत्य प्रतियों सहित निदेशक को पूर्ण विवरण सहित आवेदन करना आवश्यक होगा।

9. प्रेस प्रतिनिधियों के अधिस्वीकरण को निलम्बन/निरस्त करना

(1) अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधि का सम्बद्ध समाचार पत्र/एजेन्सी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाने की अवस्था में अधिस्वीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) किसी समाचार पत्र/समाचार एजेन्सी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतंत्र पत्रकार का अधिस्वीकरण निलम्बन/निरस्त कर दिया जायेगा यदि–

(अ) वह उन सूचनाओं तथा सुविधाओं का उपयोग, जो उसे एक अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधि के रूप में दी गयी हों, पत्रकारिता से भिन्न प्रयोजनों के लिए करता है या वह ऐसी शासकीय गोपनीयताओं को प्रकाशित करता है जिनका भंग न किया जाना सामान्य विवेक द्वारा स्वीकृत है।

(ब) वह अपने कर्तव्य पालन में अशोभनीय एवं वृत्तिक शिष्टाचार के प्रतिकूल व्यवहार करता है या

(स) वह उन शर्तो की उपेक्षा या उल्लंघन करता है, जिनके आधार पर सरकार, सूचना एवं सुविधाएं उपलब्ध कराती है और या

(द) यदि संगठन, जिसके निमित्त प्रतिनिधि को अधिस्वीकृत किया गया है, अपना प्रकाशन बन्द करदे या संगठन तंत्र, औद्योगिक विवाद या प्राकृतिक विपदाओं के कारण कालावधि के लिए काम बन्द कर दिये जाने के अलावा काम करना बन्द करदे तो अधिस्वीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

(य) प्रेस प्रतिनिधि के विरूद्ध न्यायालय में फौजदारी मामलों में चालान प्रस्तुत किये जाने की दशा में निदेशक द्वारा प्रेस प्रतिनिधि का अधिस्वीकरण निलम्बित किया जा सकेगा। न्यायालय द्वारा दंडित अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधि का अधिस्वीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

10. प्रेस प्रतिनिधियों का अधिस्वीकरण निलम्बन/निरस्त करने की प्रकिया

(1) जिस प्रतिनिधि का अधिस्वीकरण वापस लेने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, सर्वप्रथम उसे निदेशक द्वारा नोटिस दिया जायेगा एवं 15 दिवस में स्थिति को स्पष्ट करने बाबत सूचित किया जावेगा।

(2) उक्त नोटिस के उत्तर में प्राप्त अभ्यावेदन की जांच के पश्चात् अधिस्वीकरण निलम्ब/निरस्त करने का निर्णय निदेशक द्वारा लिया जायेगा।

(3) सम्बन्धित प्रेस प्रतिनिधि से निर्धारित समय में अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में निदेशक द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(4) निदेशक द्वारा अधिस्वीकरण निलम्बन/निरस्त करने के संदर्भ में लिये गये सभी निर्णय पुष्टि हेतु राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति द्वारा विचार करने के बाद समिति की संस्तुति निदेशक की टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को निर्णयार्थ प्रेषित की जायेगी।

(6) राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के पश्चात् सम्बन्धित प्रेस प्रतिनिधि का अधिस्वीकरण निलम्बन/निरस्त माना जायेगा।

11. विशिष्ट प्रकरणों में प्रेस प्रतिनिधियों के अधिस्वीकरण/उसका निलम्बन/निरस्त करना सरकार, किसी समाचार पत्र/समाचार एजेन्सी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी प्रेस प्रतिनिधि या स्वतंत्र पत्रकार को विशिष्ट प्रकरणों में अधिस्वीकरण दे सकेगी। साथ ही राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों में इन नियमों के अन्तर्गत जारी अधिस्वीकरण का निलम्बन/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा।

12. इन नियमों में राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति की सिफारिशों पर संशोधन/परिवर्तन/उपान्तरण किया जा सकेगा।

13. निरसन और व्यावृत्तियां

इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रयुक्त राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1986, और इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों से सम्बन्धित आदेश, इसके द्वारा निरसित किये जाते है:,

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

परिशिष्ट–क

अधिस्वीकरण के लिए समाचार पत्रानुसार संख्या का निर्धारण

क्र. सं.	समाचार पत्रों का वर्गीकरण (राज.विज्ञापन नियम, 1995 में निहित प्रावधानों के अनुसार)	राज्य स्तर	सम्भागीय स्तर	जिला स्तर
1	2	3	4	5
1.0	**समाचार पत्रों की संख्या का निर्धारण**			
(अ)	दैनिक समाचार पत्र			

	1.	राष्ट्र स्तर के समाचार पत्र	2	6	.
	2.	राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिनका प्रकाशन/मुद्रण राजस्थान में होता हो।	6	6	31
	3	राज्य स्तरीय समाचार पत्र	6*	6*	31
	4	सम्भाग स्तरीय समाचार पत्र	3	6	सम्भाग में जिलों की संख्यानुसार
	5	जिला स्तरीय समाचार पत्र श्रेणी (अ)	1	1	सम्भाग में जिलों की संख्या अनुसार
		श्रेणी (ब)	1	—	1
(ब)	साप्ताहिक व पाक्षिक समाचार पत्र		1	—	—
(स)	व्यंग चित्रकार		1	—	—
(द)	प्रेस छायाकार		1	—	—
(य)	समाचार एजेन्सी**		6**	6**	—
(ट)	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया***		1***	—	—

2.0 समाचार पत्रों का वर्गीकरण

निम्नांकित मापदण्डों के अन्तर्गत राजकीय विज्ञापन जारी करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों को राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय तथा जिला स्तरीय के रूप में श्रेणीकृत किया जायेगा।

(क) राष्ट्र स्तरीय समाचार पत्र

जो दैनिक समाचार पत्र कम से कम दो महानगरों से मुद्रित एवं प्रकाशित होता हो (न्यूनतम दो संस्करण) और जिसके एक संस्करण की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 75 हजार हो तथा संयुक्त संस्करण में कोई दो संस्करणों की समूल्य प्रसार संख्या 1.25 लाख हो, को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरी करता होः—

1. न्यूनतम बारह पृष्ठ में मुद्रित होता हो।
2. न्यूनतम आकार 22''x 32''/2 हो।

---

* सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के आदेश संख्या एफ—6(1) गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको./78, दिनांक 3 फरवरी, 2001 के द्वारा कॉलम नम्बर 3 एवं 4 में अंकित संख्या 12—12 करदी गई है।

** सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के आदेश संख्या एफ—6(1) गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको./78, दिनांक 3 फरवरी, 2001 द्वारा कॉलम नम्बर 3 एवं 4 में अंकित संख्या 12—12 की गई।

*** सूचना एवं जन संपर्क विभाग के आदेश संख्या /एफ—5(1)गृह/सम्पर्क/सचि./प्रकोष्ठ/2002 दिनांक 1.7.2004 द्वारा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के राज्य स्तरीय 12, सम्भाग स्तरीय 6 एवं जिला स्तरीय 3 प्रतिनिधियों को अधिस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

3. मानक चौड़ाई के आठ कॉलम अथवा अधिक चौड़ाई के कम संख्या में कॉलम जो कि पत्र के उपरोक्त माप में आते हों।
4. ऑफसेट पद्धति से मुद्रण होता हो।
5. जयपुर में संवाददाता नियुक्त हो।
6. वेतनभागी कर्मचारियों सहित सम्पादकीय अनुभाग हो।
7. प्रातःकालीन दैनिक समाचार पत्र हो।
8. समाचार समितियों की सेवायें प्राप्त करता हो।
9. राजस्थान में पाठकों की पर्याप्त संख्या हो।

(ख) राज्य स्तरीय समाचार पत्र

राजस्थान के जयपुर सहित किन्हीं दो स्थानों से मुद्रित एवं प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र, जिसकी एक संस्करण की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 50 हजार हो और समस्त संस्करणों की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या एक लाख हो, को इस श्रेणी में रखा जायेगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करता होः—

1. न्यूनतम आठ पृष्ठ में मुद्रित होता हो।
2. न्यूनतम आकार 22''x 32''/2 हो।
3. मानक चौड़ाई के आठ कॉलम अथवा अधिक चौड़ाई के कम संख्या में कॉलम जो कि पत्र के उपरोक्त माप में आते हों।
4. ऑफसेट पद्धति से मुद्रण होता हो।
5. राज्य के एक तिहाई जिलों में संवाददाता नियुक्त हों।
6. वेतनभोगी कर्मचारियों सहित सम्पादकीय अनुभाग हो।
7. राज्य के आधे से अधिक जिलों में प्रसार एवं पर्याप्त पाठक संख्या हो।
8. प्रातःकालीन दैनिक हो।
9. समाचार समितियों की सेवायें प्राप्त करता हो।

(ग) संभाग स्तरीय समाचार पत्र

राज्य के किसी भी जिले से मुद्रित एवं प्रकाशित ऐसा दैनिक समाचार पत्र, जिसकी न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 25 हजार हो एवं जिसका प्रसार सम्बन्धित संभाग के अधिकतम जिलों में हो, को इस श्रेणी में रखा जायेगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करता हो :—

1. न्यूनतम 6 पृष्ठों में मुद्रित होता हो।
2. न्यूनतम आकार 22'' x 32''/2 हों ।
3. मानक चौडाई के आठ कॉलम अथवा अधिक चौड़ाई के कम संख्या में कॉलम जो कि पत्र के उपरोक्त माप में आते हों।
4. ऑफसेट पद्धति से मुद्रण होता हो।
5. सम्बन्धित संभाग के आधे से अधिक जिलों में संवाददाता नियुक्त हों।
6. वेतनभोगी कर्मचारियों सहित सम्पादकीय अनुभाग हो।
7.

(घ) जिला स्तरीय समाचार पत्र

राजस्थान के किसी भी जिले से प्रकाशित एवं मुद्रित समाचार पत्र जो राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय श्रेणी में नहीं आयेंगे, इस श्रेणी में सम्मिलित किये जायेंगे।

टिप्पणी 1. समाचार पत्रों का ऊपर उल्लिखित वर्गीकरण मात्र विज्ञापन वितरण के लिए ही किया जायेगा।

2. यहां विज्ञापन वितरण के लिए समाचार पत्र के 'मुद्रण' से तात्पर्य घोषणा पत्र में उल्लिखित मुद्रणालय से पत्र के समस्त पृष्ठों के मुद्रण से है।

परिशिष्ट–ख

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

(अधिस्वीकरण हेतु आवेदन पत्र)

फोटो

राजपत्रित अधिकारी द्वारा
आवेदक का प्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. समाचार पत्र/समाचार एजेन्सी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम/स्वतंत्र पत्रकार
4. समाचार पत्र की नियतकालिता
5. आवेदक का पद नाम
6. जन्म तिथि (सैकण्डरी परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. पत्रकारिता का अनुभव (अवधि) पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. सम्पादक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र की तिथि व वर्ष (छाया प्रति संलग्न करें)
10. समूल्य प्रसार संख्या
11. आर.एन.आई. प्रमाण पत्र का नम्बर, वर्ष व तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. समाचार पत्र के प्रकाशन के प्रारंभ होने की तिथि
13. वेतन–भत्ते
14. पत्रकारिता के अलावा आजीवन का अन्य साधन
15. टेलीग्राफ/फैक्स/टेलेक्स आथोरिटी नम्बर
16. स्थाई पता
17. पत्राचार का पता

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

स्थानः

दिनांक :

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....सम्पादक/संवाददाता..... पता.....द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

श्री .....समाचार पत्र/समाचार एजेन्सी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संवाददाता के रूप में वर्ष .....से नियोजित है। मैं इनको अधिस्वीकृत करने की अभिशंषा करता हूँ।

हस्ताक्षर

नियोजनकर्ता

परिशिष्ट–ग

राजस्थान सरकार

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय

क्रमांक : दिनांक :

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....पुत्र श्री ....निवासी.....समाचार पत्र/समाचार एजेन्सी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिनांक .....से .....पद पर कार्यरत हैं।

श्री .....को.....वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव प्राप्त है। मुझे उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं जांच के अनुसार इनकी आजीविका पत्रकारिता पर निर्भर है।

श्री .....द्वारा अधिस्वीकरण हेतु दिये गये आवेदन पत्र (परिशिष्ट–ख) में दी गयी सूचना मेरे द्वारा सत्यापन करने पर सही पायी गयी है।

हस्ताक्षर

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी

स्थानः

दिनांकः

प्रतिहस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. आवेदक का पद नाम
4. समाचार पत्र/समाचार एजेन्सी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम/स्वतंत्र पत्रकार
5. समाचार पत्र की नियतकालिता
6. जन्म तिथि
7. शैक्षणिक योग्यता
8. गृह जिला
9. अधिस्वीकरण कार्ड संख्या
10. प्रथम अधिस्वीकरण की तिथि
11. पत्रकारिता का अनुभव (वर्षों में)
12. पत्रकारिता के अलावा आजीविका का अन्य साधन
13. वाहन संख्या (यदि कोई हो तो)
14. टेलीफोन संख्या (यदि कोई हो तो)
15. स्थायी पता
16. पत्राचार का पता

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
दिनांक

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....निवासी..... समाचार पत्र/समाचार एजेसी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में .....पद पर दिनांक ....से अब तक नियोजित है। इनके अधिस्वीकरण कार्ड के नवीनीकरण की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर
नियोजनकर्ता

स्थानः
दिनांकः

आज्ञा से
विशिष्ट शासन सचिव/उपशासन सचिव
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

सं0.एफ5(1)/गृह/सम्पर्क/सचि./प्रकोष्ठ/2002 जयपुर,दिनांक 13.6.2008

विषयः– राजस्थान के अधिस्वीकरण नियम, 1995 में संशोधन

राजस्थान सरकार समाचार पत्रों/समाचार एजेन्सियों/ इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले पत्रकारों को अधिस्वीकृत करने के राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1995 में निम्न प्रकार संशोधन करती हैः–

परिभाषाऐं–2(10)

आदेश संख्या–प.9/98 दिनांक 31.5.2000(9)

स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिस्वीकरण करने की आयु 45 के बजाय 35 वर्ष तथा अनुभव 20 वर्ष के बजाय 10 वर्ष किया जाता है।

अधिस्वीकरण कार्ड–7(3)

अधिस्वीकरण कार्ड आयुक्त एवं शासन सचिव, निदेशक, अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन शासन उप सचिव या संयुक्त निदेशक(समाचार) के हस्ताक्षरों से जारी किये जायेंगे। इनका नवीनीकरण एक वर्ष के बजाय दो वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

उक्त नियम तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

शासन उप सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, संसदीय सचिव एव प्रभारी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एव जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,जयपुर।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

शासन उप सचिव

नोट :– राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति की दिनांक 10 जून 2010 को आयोजित बैठक में की गई सिफारिशों के क्रम में राज्य सरकार के निर्णय अनुसार स्वतंत्र पत्रकार के अधिस्वीकरण हेतु न्यूनतम आयु 45 वर्ष एवं पत्रकारिता का न्यूनतम अनुभव 20 वर्ष निर्धारित है।